RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-03
March-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[UGC Listed Journal]

उदारीकरण के दौर में शहरी गरीब महिलाएंः इलाहाबाद एवं कानपुर के विशेष संदर्भ में

अनिल कुमार

शोध छात्र मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

(Corresponding Author: anilsinghuoa@gmail.com)

विषय की प्रासंगिकता–

भारत में 2007 से स्मार्ट सिटी पर बहस प्रारम्भ हुई तथा 2017 तक यह और व्यापक हुई। उत्तर प्रदेश में इस योजना के तहत इलाहाबाद एवं कानपुर शहरों को शामिल किया गया। यह वे शहर हैं जो मलिन बस्ती जनसंख्या तथा अति गरीब महिला जनसंख्या के धारक है। इस योजना में शहरों में मध्यवर्गीय प्राभाव को प्रोत्साहित करने के अतिरिक्त गरीब महिलाओं को दरकिनार किया गया।

उपरोक्त परिस्थितियों की समीक्षा हेतु विषय की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। 2007 से 2012 के मध्य योजना आयोग ने यह घोषित किया कि गरीबों की जनसंख्या में 7.5 प्रतिशत की कमी आयी तो तेन्दुलकर समिति ने घोषित किया कि 28.35 रूपये प्रतिदिन उपभोग करने वाला व्यक्ति शहरी क्षेत्र में गरीब नहीं है। मात्र 2 वर्ष बाद ही रंग राजन समिति ने गरीबों की संख्या 100 मीलियन तथा शहरी गरीब का उपभोग आय मानक 47 रूपये बताया। 2017 की फ्यूचर डेवलपमेन्ट रिपोर्ट कहती है कि प्रतिमिनट 41 भारतीय अतिगरीबी रेखा के नीचे आ रहे है।

उपरोक्त रिपोर्टों में जहाँ स्त्री के प्रश्न नदारद हैं। वहीं इसके अतिरिक्त यह प्रश्न स्वभाविक है कि घोषित आय में शहरी क्षेत्रों में कोई व्यक्ति अपना जीवन–यापन कैसे कर सकता है? यदि उत्तर प्रदेश में गरीबों को गिने जाने की यही प्रवृत्ति रही तो राज्य क्या अपनी आर्थिक सामाजिक असमानताएँ मिटा पायेगा? यदि यह सत्य है कि गरीबों की जनसंख्या में कमी आ रही है तो यह प्रश्न उठना स्वभाविक है कि गरीब महिलाओं का शोषण कब तक जारी रहेगा?

उत्तर–प्रदेश में गरीबी हटाओं का राजनैतिक नारा राजनैतिक गलियारों में आज भी अपनी प्रासंगिकता रखता हैयद्यपि यह सत्य है कि गाँधी अम्बेडकर, लोहिया, दीन दयाल उपाध्याय, चौधरी चरण सिंह की कस्में खाकर गरीबी उन्मूलन के वायदे किये जाते रहे हैं किन्तु इनकी कार्यान्विति एक अपूर्ण सुखद स्वप्न बना हुआ है।

यद्यपि सोनभद्र और मिर्जापुर में नक्श्ली प्रभाव की चर्चा कोई नई बात नहीं किन्तु यह तथ्य कि घर गृहस्थी के कार्यो का महिलाकरण, व्यवस्था के पूरक सामाजिक आर्थिक ढ़ाचों तथा संसाधन वितरण में पुरूष वर्चस्व एजेन्डे वाद–विवाद हेतु दूर की कौड़ी प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त परिदृश्यों से विषय की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है।

प्रस्तावना–

महिलाओं की स्थिति का देश एवं काल के अनुसार निर्धारण हमेशा से ही होता रहा है, तथा भारतीय शहरी गरीब महिला की उन्नति धार्मिक, आर्थिक व राजनैतिक परिस्थितियों से प्रभावित होती रही है। जहाँ प्राचीनकाल में मनुवाद के इस धारणा ने कि ''बाल्यकाल में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र स्त्री का रक्षक होगा''[1] स्त्रियों के विकासोन्मुखी पग शूलगुम्फित किये, तो मध्यकाल परदा प्रथा की अमानवीयता के साथ स्त्री विकास को गर्त में ले आया। ब्रिटिशकाल में यद्यपि महिलाओं सम्बन्धी आन्दोलनों की एक लम्बी श्रृंखला दृष्टिगत होती है, किन्तु पुरूष मनोवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया। अपने उपन्यास 'आनन्दमठ' में ''बंकिमचन्द्र चटर्जी'' ने स्त्रियों के तीन गुण बताऐ हैं–'रति प्रेमा, पति प्रेमा, संतती प्रेमा''।[2] 20वीं सदी के मध्यार्द्ध में यद्यपि शहरी महिलाओं का वाह्य परिवेश में प्रवेश हुआ किन्तु ''बकौल पार्थ चटर्जी'' वह घर के अन्दर की वस्तु बनी रही,[3] अतः स्पष्ट है कि शहरी गरीब महिलाओं की स्थिति, जीर्ण शीर्ण ही रही। स्वतंत्रता के बाद का काल स्त्रीयों विशेषतः हाशिये पर पड़ी महिलाओं के लिए स्थान बिन्दु के रूप में सामने आया तथा भारतीय अभिजन ने संविधान की प्रस्तावना में यह घोषणा की कि, ''धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक आधार पर लैंगिक भेदभाव नहीं किया जायेगा।'' समाजिक रूप से हाशिए पर पड़ी, इन महिलाओं हेतु सुरक्षात्मक उपबन्ध भी किये गये।

अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15/3 में बाल एवं महिला समता की गारण्टी, अनुच्छेद 23 में बेगार निषेध, व मानव व्यापार प्रतिबन्धित, '39 न' में समान

RRIJM 2015, All Rights Reserved

कार्य हेतु समान वेतन, 39ङ में महिलाओं के स्वास्थ्य व शक्ति का दुरूपयोग न करने का वर्णन, '39क' राज्य से यह अपेक्षा करता है कि पुरूषों एवं महिलाओं हेतु राज्य द्वारा आजिविका चलाने की व्यवस्था की जाएगी।[4]

उपरोक्त उपबन्धों की कार्यान्विति स्वतंत्रता के बाद के प्रारम्भिक पंचवर्षीय योजनाओं में देखी जा सकती है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास कार्य हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं पर बल देती है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना द्वारा महिलाओं को घर पर काम देने हेतु तीन माचिस कारखाने खोले गये। तृतीय पंचवर्षीय योजना में शहरी गरीब महिला को सामाजिक कार्यक्रम में सेवा योजना के प्रशिक्षण हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गयी। चौथी तथा पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं में गरीब महिलाओं हेतु विशेष पोषाहार कार्यक्रम लागू किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में महिला विकास के अध्याय के साथ शैक्षिक प्रयास भी किया गया। रोजगार हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कढ़ाई–बुनाई की आधुनिकीकरण किया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना में दीर्घकालिक योजना श्रमशक्ति प्रतिवेदन और विकास सेक्टरों द्वारा लाभार्थियों की पहचान करने के साथ नोएडा में महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु आई0टी0आई0 खोलने की व्यवस्था की गयी। हर तरह के पाठ्यक्रमों में से लिंगभेदी विचारों को हटाया गया। हिंसा नियंत्रण हेतु कानून पुनरावलोकन भी किया गया। किन्तु सामाजिक दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला।[5]

Hindu code Bill में महिलाओं को सम्पत्ति का अधिकार न मिलना तथा इलाहाबाद में 'प्रभुदत्त ब्रम्हचारी' जैसे रूढ़ीवादियों का प्रभावी रहना, इस तथ्य के पर्याप्त प्रमाण हैं। रूढ़ीवादिता के साथ घर गृहस्थी के कार्यों का महिलाकरण भी बना रहा। यहाँ एक अन्य तथ्य ध्यान देने योग्य यह है कि गरीबी की दृष्टि से ग्रामीण महिला, एजेण्डे व वाद–विवाद का मुख्य विषय रही और शहरी निर्धनता के समान शहरी महिला भी चर्चा प्रक्रिया से विमुख रही।

1991 के बाद इलाहाबाद व कानपुर की शहरी गरीब महिलाएँ–

वस्तुतः 1991 के बाद कमजोर आर्थिक साख व मौद्रिक संकट ने केन्द्रीय नेतृत्व को आमूल– चूल परिवर्तन करने हेतु बाध्य किया तथा अब उत्पादक संसाधनों की पुनर्नियोजन प्रक्रिया में राज्यों की भूमिका में कमी आयी व लोक कल्याणकारी राज्य का स्थान बाजार अनुकुलित शासन व्यवस्था ने ले लिया। इस परिवर्तन बिन्दु द्वारा जहाँ नई औद्योगिक नीति के माध्यम से महिला श्रमिकों को सुरक्षा की गारण्टी दी गई वहीं महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा कार्य एवं अवसर की समानता हेतु हिन्दी भाषा में एक कानून का Manual जारी किया गया। गरीबी उन्मूलन हेतु 20 सूत्रीय कार्यक्रम शहरी गरीब को रोजगार देने हेतु 'नेहरू रोजगार योजना', तथा आवास हेतु 'शहरी आवास राजीव मिशन', आदि कार्यक्रमों का संचालन किया गया। इन गरीबी उन्मुलन कार्यक्रम में महिलाओं को प्राथमिकता देने के साथ गरीबी उन्मूलन हेतु सेवायोजन मंत्रालय को जहाँ रू0 11490.67 करोड़ उपलब्ध कराये गये वहीं महिला विकास हेतु रू0 7810. 42 करोड़ अलग से प्रदान किये गये।[6] ''9वीं पंचवर्षीय योजना'' इतना सब होने पर भी, उत्तर प्रदेश के कानपुर तथा इलाहाबाद के शहर न केवल मलिन बस्ती जनसंख्या के धारक बने रहे हैं बल्कि यहाँ महिलाओं के कार्य के समान अवसर भी उपलब्ध नहीं हो सके। इलाहाबाद के मलिन बस्ती जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 1,26,646 तथा महिला कामगारों की संख्या 34,119 रही।[7] अतः समस्या का वृहद स्वरूप एकदम स्पष्ट है। इस स्पष्टीकरण के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि सूचनाओं का शोधपूर्ण संग्रहण कर शहरी गरीब महिलाओं के सम्बन्ध में नये तथ्यों को प्रकाश में लाया जाय तथा इससे सम्बन्धित समस्याओं के नये समाधान प्रस्तुत किये जाये।

1. असंगठित क्षेत्र की कामगार महिलाएँ–

कानपुर तथा इलाहाबाद में अधिकतर महिलाएँ असंगठित क्षेत्र में अपने श्रमशक्ति का एक बड़ा भाग नियोजित करती है। यद्यपि 1991 की नई औद्योगिक नीति द्वारा संरक्षण की क्रमिक प्रक्रिया में इन्हें बीमा स्वास्थ्य–चिकित्सा, आदि की सुविधाएँ प्रदान की गई किन्तु धरातलीय परिस्थिति इससे भिन्न रही। 'आक्सफेम' की 2010 की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद व कानपुर जैसे शहरों में कुल श्रमिक महिलाओं का 74 प्रतिशत हिस्सा घरेलू कार्यों (बर्तन खाना, झाड़ू आदि) द्वारा अजीविका अर्जित करता है, जिन्हें स्वास्थ सेवाओं, अवकाश बीमा की प्राथमिक सुविधाएँ तक प्राप्त नहीं है।[8]

दूसरे, एल.पी.जी. प्रोग्राम के बाद असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। 2006 में इलाहाबाद में यह संख्या लगभग कुल कार्यरत महिलाओं का 38.5 प्रतिशत तथा कानपुर में 39.63 प्रतिशत रही। ऐसे में प्रोफेसर 'रजनी कोठारी' की यह अवधारणा कि ''1991 के बाद लोक कल्याणकारी राज्य का स्थान बाजार अनुकुलित शासन व्यवस्था ने ले लिया,'' सत्य प्रतीत होती है।[9]

2. संगठित क्षेत्र में महिला श्रमिक–

1991 के बाद इलाहाबाद तथा कानपुर बड़े नगर के रूप में विकसित हुए। जहाँ इलाहाबाद ने कागज उद्योग में वृद्धि दर्ज की वहीं कानपुर में चमड़ा उद्योग के अतिरिक्त

सहकारी मील बोर्ड लि0 तथा टाट मील आदि द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त की।

उपरोक्त आधारों पर 'पी0वी0 राजीव' व 'नलिनी तनेजा' यह घोषित करते हैं कि 1991 के बाद संगठित क्षेत्र में रोजगार की तीव्र वृद्धि हुई। किन्तु उत्तर प्रदेश में परिस्थिति इन बड़े दावों के विपरीत रही।[10]

1981 से 1991 के दौरान उत्तर प्रदेश के रोजगार वृद्धि दर 0.53 प्रतिशत थी जो 1997 में घट कर 0.4 प्रतिशत रही[11] इसके अतिरिक्त संसदीय समिति 2012 के एक रिपोर्ट के अनुसार फिरोजाबाद में संगठित क्षेत्रों में कार्यरत लगभग 50 प्रतिशत श्रमिक अपंजीकृत है, जिनमें अधिकतर महिलाएँ हैं। इन्हें ⁿ हास्पिटल की सुविधा प्राप्त नही है। यही नही 2012 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रम समस्या उन्मूलन हेतु 'श्रम कल्याण बोर्ड' का गठन तक नहीं किया।[12]

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 2016 के नये श्रम कानून द्वारा केन्द्र सरकार ने श्रमिकों की संख्या निश्चित करने के अतिरिक्त उनकी छटनी करने तथा कार्य के घण्टों में वृद्धि करने का अधिकार दिया है जिससे महिलाओं के हाथ से रोजगार छिनने का संकट उत्पन्न हो गया है। उपरोक्त परिस्थितियों ने संगठित क्षेत्र की महिला की दशा निम्न बनाने के साथ 'मारिया माइस' की इस उक्ति को सत्य सिद्ध किया है कि–''पूँजीवाद पितृसत्ता का दूसरा रूप है, जो महिला उत्पीड़न हेतु उसी की भाँति उत्तरदायी है।

3. उत्तर प्रदेश में स्वरोजगार करने वाली शहरी गरीब महिलाएँ

इलाहाबाद और कानपुर में स्वरोजगार (चाय, सब्जी, अण्डे, सिलाई, कढ़ाई, बुटिक आदि द्वारा आजीविका अर्जित करने वाली महिलाएँ) का प्रतिशत पुरूषों की तुलना में कुछ विशेष नहीं है। 2007 से 2017 के मध्य बीएसपी तथा एसपी सरकारों ने ठेलों पर स्वरोजगार करने वाली महिलाओं एवं पुरूषों हेतु रजिस्ट्रेशन करने की व्यवस्था की। इसके तहत आवास तथा मुद्रा योजना में लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती है। किन्तु इस क्षेत्र में कार्यगत महिलाओं के पास प्रमुख सूचना अभाव की है। मेरे द्वारा किये गये इलाहाबाद कटरा की 10 महिलाओं से साक्षात्कार में यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है। उनका उत्तर इस प्रक्रिया से लाभ न मिलने की ओर संकेत करता है।

दूसरे नगर निगम के अवैध अतिक्रमण प्रक्रिया हटाने में इन महिलाओं को व्यवसायिक अवरोधन का सामना करना पड़ता है। तीसरे इस क्षेत्र में महिलाएँ प्रायः अपने घर की कम आयु वर्ग की बालिकाओं अथवा विद्यालय जा रही लड़कियों का श्रम नियोजित कराती है। जिससे जहाँ बाल श्रम की व्यापक समस्या उपस्थित होती है। वहीं लड़कियों हेतु शिक्षा का अवरोधन भी उत्पन्न होता है।

इलाहाबाद तथा कानपुर में सिलाई कढ़ाई की व्यवस्था करने वाली शहरी गरीब महिलाएँ भी है। ''प्रो0 नायला कबीर'' द्वारा बांग्लादेश की सिलाई महिलाओं पर अध्ययन से निकाले गये निष्कर्ष कि ''इस प्रकार के कार्य में परिश्रम अधिक और लाभ कम होता है।''[13] निर्विवाद रूप से इलाहाबाद और कानपुर के सम्बन्ध में सत्य है।

इन दो शहरों में फैशन डिजाईन के चलन ने सिलाई–कढ़ाई करने वाली महिलाओं हेतु व्यवसायिक चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं। आधुनिक समय में व्युत्पन्न बुटिक तथा पार्लर द्वारा स्वरोजगार प्राप्त करने वाली महिलाएँ भी हैं जिनकी कि अपनी सामाजिक, आर्थिक चुनौतियाँ भी है।

4. मलिन बस्ती की महिलाएँ–

1990 के बाद राज्य एवं केन्द्र सरकार की 50–50 प्रतिशत भागीदारी से मलिन बस्ती उन्नयन कार्यक्रम (राजीव शहरी आवास मिशन, इन्दिरा आवास योजना, पं0 जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना आदि) संचालित की गयी। किन्तु जैसा कि 'गीता दीवान वर्मा' अपनी पुस्तक (स्लमिग इंडिया) में यह बताती कि ''आवश्यकता मलिन बस्ती उन्नयन की नहीं मलिन बस्ती उन्मूलन की है।[14]

राजश्री चटर्जी अपने लेख 'सोसियो इकोनॉमिक कंडीशन्स ऑफ वूमेन्स स्लम्स' में महिलाओं की आर्थिक हेयता एवं शोषक सामाजिक परिवेश की ओर संकेत करती है[15] तथा एस.एन. त्रिपाठी अपने लेख ''चैलेन्जेज आफ अर्बनाइजेशन एण्ड एजुकेटिंग द स्लम चिल्ड्रेन इन इण्डिया'' में मलिन बस्ती महिलाओं की बच्चों के समक्ष शिक्षा सम्बन्धी चुनौतियों की चर्चा करते हैं।[16] शोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत इन चुनौतियों के अतिरिक्त मलिन बस्तियों का वातावरण उचित स्वास्थ्य हेतु अनुकूल न होने की समस्या भी है। जिससे महिलाएँ सर्वाधिक मात्रा में प्रभावित होती हैं। यही नहीं शुद्ध पेय जल के अभाव में महिलाओं को जलापूर्ति हेतु अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है। इन महिलाओं की रोजगार एवं शिक्षा सम्बन्धी समस्या भी है जहाँ शिक्षा हेतु अनुकुल वातावरण का अभाव देखा गया वहीं रोजगार हेतु कम वेतन तथा शोषक मनोवृत्तियों वाली मालिको के अभद्र व्यवहार की समस्या भी है। 2001 के जनगणना के अनुसार इलाहाबाद में इस श्रेणी की महिलाओं की जनसंख्या 76339 तथा कानपुर में 198983 रही। इलाहाबाद में दारागंज की मलिन बस्तियाँ उपरोक्त समस्याओं का धारातलीय प्रमाण हैं।[17]

5. सरकारी नीतियाँ तथा इलाहाबाद में शहरी गरीब महिलाएँ–

RRIJM 2015, All Rights Reserved

इस सम्बन्ध में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि योजनाकारों की अदूरदर्शिता ने महिलाओं को माँ के रूप में सामने रखा है, कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के इन दो शहरों में संसाधनों क्रमशः (भूमि, ऋण, बीज, प्रशिक्षण) पर व्यवहारिक रूप से पुरूषों का नियंत्रण रहा दूसरे यद्यपि उत्तर प्रदेश में सरकारें समान कार्य के लिए समान वेतन देने का दम भरती रही है। किन्तु पुरूषों एवं महिलाओं के वेतन में भिन्नता बनी रही है। इसका कारण यह है कि नीति निर्धारण में हित और आवश्यकता को एक रूप में देखने की प्रवृत्ति रही है। इस सम्बन्ध में पी.सी. जोशी का तर्क है कि 'यदि किसी परिवार को चलाने वाली महिला विधवा है और उसे एक पुरूष से कम मजदूरी मिलती है तो उसके जीवन स्तर में सुधार की समस्त सम्भावनाएँ समाप्त हो जायेंगी।

6. वैश्वीकरण कार्यक्रम तथा महिलाएँ–

1991 के बाद खुलेपन की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के साथ महिलाओं को कार्य एवं अवसर की समानता सैद्धान्तिक रूप में उपलब्ध हुई तथा प्रसूति सेवाओं और आवास योजनाओं में भी उन्हें प्राथमिकता प्रदान की गयी। किन्तु यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं के कार्य एवं अवसर की समानतः प्राप्त करने का औसत निम्न ही रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार कामगार महिलाओं की कुल जनसंख्या इलाहाबाद में 59483 रही। 2017 तक यद्यपि इलाहाबाद एवं कानपुर में महिला कामगारों में वृद्धि दर दर्ज की गयी किन्तु उनके प्रति आपराधिक हिंसा तथा उत्पीड़न में भी वृद्धि हुई है।

एन.सी.आर.बी. की एक रिपोर्ट के अनुसार इलाहाबाद तथा कानपुर महिला हिंसा के सम्बन्ध में शीर्ष 10 स्थानों में किसी एक पर अवश्य रहे हैं।

इसके अतिरिक्त वैश्वीकरण के दौर में कुछ अन्य मुद्दे भी हैं–(1) लिंग असमानता के कारण उत्पादकता एवं श्रम की कार्य क्षमता में गिरावट तथा संसाधन वितरण में गहनता आयी है। (2) दोहरे बोझ की गहनता ने महिला प्रगति में बाधा उत्पन्न की है। उन्हे जहां एक ओर बच्चों का पालन–पोषण करना होता है वहीं वे आर्थिक क्रिया–कलापों में भी भाग लेती हैं। (3) पारम्परिक अर्थ व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका में कमी आयी फलतः महिलाओं के स्तर में गिरावट देखी गयी तथा प्रतिस्पर्द्धापरक अर्थ व्यवस्था में उनके लिए कोई शेष स्थान नहीं बचा है। वैश्वीकरण के इस दौर में घर गृहस्थी के कार्यो का महिलाकरण बना हुआ है। (5) वैश्वीकरण की खुलेपन की प्रक्रिया के बावजूद भी शहरी गरीब महिलाओं की शिक्षा तक भेदभावपूर्ण पहुंच है। 2011 के जनगणना तथा ष्आक्सफेमष की एक रिपोर्ट के अनुसार मध्यम, उच्च एवं शहरी गरीब महिलाओं के मध्य शिक्षा प्राप्ति का अन्तर लगभग 45 प्रतिशत है। अतः जहां एक ओर उच्च वर्गीय महिलाएँ कार्यक्षम हुई हैं वहीं गरीब महिलाएँ दिहाड़ी पर मजदूरी करने हेतु बाध्य है। अतः स्पष्ट है कि शहरी गरीब महिला को (एल.पी.जी.) का लाभ मिले–जुले रूपों में प्राप्त हुआ है जिनमें प्रायः हानियाँ अधिक हैं।

निष्कर्ष–

यहाँ दो बातों पर विशेषतः ध्यान रखना आवश्यक है (1) उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता वाद–विवाद व एजेन्डे का प्रमुख विषय रहा है। (2) नगरी निर्धनता तथा स्त्रीयों की स्थिति की प्रायः उपेक्षा होती रही है। दुर्भाग्यवश उ0प्र0 में इस तथ्य को अस्वीकार करने की प्रवृत्ति रही है कि जब तक नगरीय आर्थिक प्रक्रिया का स्थूल ढॉचे के साथ समावेश नहीं किया जायेगा और यदि नगरीय विषयों की अच्छी तरह व्यवस्था नहीं की जायेगी तो बुनियादी सेवाओं जैसे–आवास, जलापूर्ति और स्वच्छता पूर्ति में कमियों की बढ़ने की सम्भावना है जो नगरीय निर्धनों को उत्तरजीविता की रणनीतियाँ बनाने और समस्या से निपटने में युक्ति युक्त रूप से असमर्थ बना देगा तथा दूसरे, एक अन्य तथ्य यह है कि एल.पी.जी. के पश्चात् भूमि असंगठित श्रम बाजार की उपलब्धता तथा पर्यावरणीय विनियमों में लचीलेपन के कारण बड़े नगरों के आस–पास कस्बों में उद्योग अवस्थित हुए इसे पतनशील परिधीयकरण कहा जाता है। इन प्रदूषणकारी उद्योगों के कारण निर्धनों को आन्तरिक भू–भागों में घटिया जीवन स्तर युक्त वातावरण में रहने हेतु बाध्य होना पड़ा है।

उत्तर प्रदेश में शहरी महिला पर तार्किक स्थिति समझने के लिए उत्पल कुमार द्वारा अपने लेख 'द वाइलेन्स आफ डेवलपमेन्ट' में स्त्रीयों की सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक वंचना की बात करते हुए महिला उत्पीड़न के सम्बन्ध में उठाये गये प्रश्नों को देखा जा सकता है वे प्रश्न करते हैं कि ''सरकारी तथा गैर सरकारी प्रयासों के बाद भी स्त्रीयों की दशा न सुधरने का कारण क्या प्राग पूंजीवाद के अवशेषों का बचे रहन है? क्या दास प्रथा और सामन्त प्रथा की कुरीतियों के कारण यह पितृसत्ता है जो न केवल बनी हुई है बल्कि नये रूपों में और मजबूत हुई है तथा उन दावों का क्या हुआ जो स्त्रीयों को विक्टिम (उत्पीड़ित) अथवा 'एजेन्ट आफ चेन्ज' (परिवर्तन की प्रतिनिधि) बताया गया था।[18] कानपुर तथा इलाहाबाद में शहरी महिलाओं की दशा को अवलोकित करने के पश्चात् गायत्री चक्रवर्ती स्पीवाक की स्त्रीयों के शोषण की त्रिस्तरीय धारा पुष्ट होती है। स्त्रीयों की पीड़ा पर विचार करने की क्रमिक प्रक्रिया में जहाँ वृन्दा कारात संकीर्ण स्त्रीवाद से बचने का सुझाव देती हैं वहीं पी.सी. जोशी स्त्रीयों को श्रमिक के रूप में देखने के पक्ष में है तो उर्वशी बुटालिया वैश्वीकरण के दौर में पितृसत्ता के भूमण्डलीय वृत्त स्वरूप को समझना निहायत आवश्यक बताती है।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

किन्तु शहरी गरीब महिला के सम्बन्ध में उपरोक्त पक्षों के अतिरिक्त सरकारी नीतियाँ भी उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में 'कैरोलिन मोजर' की इस युक्ति पर ध्यान देना आवश्यक है। ''विकास लोगों विशेषतः महिलाओं की आवश्यतानुसार प्रायः कम रह जाता है और इसका कारण कम आय वर्ग के घरों के भीतर श्रम का विभाजन घर के ही भीतर शक्ति और संसाधनों का नियंत्रण के प्रति विकास योजनाकारों की रूढ़िवादिता है।

गरीब स्त्रियों के असमानता मूलक भेद मूलक तथा हासीयकरण की इस पूरी प्रक्रिया को अन्तिम निष्कर्ष हेतु समझने के लिए चारू गुप्ता की उक्ति मील का पत्थर है। स्त्री केवल स्त्री होने के कारण ही असामनता का शिकार है।

संदर्भ सूची

1. श्रीवास्तव, के0सी0, प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति, यूनाइटेड बुक डिपो, इलाहाबाद।
2. चटर्जी, बंकिमचंद्र, आनन्द मठ, हिंद पाकेट बुक्स, नई दिल्ली।
3. चटर्जी, पार्थ, द नेशन एण्ड इट्स फ्रैग्मेन्ट्स, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, प्रिसंटन, न्यूजर्सी, यू0एस0ए0।
4. शर्मा, ब्रजकिशोर, भारत का संविधानः एक परिचय, पेज न 0 193–205।
5. प्रो0 सिंह, सुरेन्द्र और वर्मा आर0बी0एस0, भारत में समाज कार्य का क्षेत्र, न्यू रायल बुक कम्पनी, लखनऊ।
6. वही
7. 2001 की जनगणना के आंकड़े
8. आक्सफेम रिपोर्ट, 2010
9. कोठारी, रजनी, भारत में राजनीतिः कल और आज, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
10. डॉ0 तनेजा, नलिनी, समकालीन भारत; अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज, दिल्ली यूनीवर्सिटी प्रेस
11. ए0एस0एस0आई0 रिपोर्ट, 1991, 97
12. संसदीय समिति रिपोर्ट, 2012
13. प्रो0 कबीर, नायला, इकोनॉमिक पाथवेज टू बुमेंस इम्पावरमेन्ट एण्ड एक्टिव सिटिजनशिपः व्हाट इज द डाटा फ्रास बांग्लादेश टेब अस?
14. वर्मा, गीता दीवान, स्लमिंग इण्डियाः अ क्रॉनिकल आफ स्लम्स एण्ड दियर सेवियर्स, पेंगुइन इण्डिया, पब्लिकेशन्स।
15. चटर्जी, राजर्षि, सोसियो इकोनामिक कन्डीशन्स आफ वुमेन्स इन स्लम्स।
16. त्रिपाठी, एस0एन0, चैलेन्जेज आफ अर्बनाइजेशन एण्ड एजुकेटिंग द स्लम चिल्ड्रेन इन इण्डिया।
17. जनगणना, 2001 के आंकड़े
18. कुमार, उत्पल, द वायलेंस आफ डेवलपमेन्ट

RRIJM 2015, All Rights Reserved